



सं.सं.राबैं. पुनर्वित्त Ref. No. NB.DoR / 257 / पीपीएस PPS - 9/ 2020-2021

20 जुलाई 2020

परिपत्र सं Cir. No. 199 / पुनर्वित्त DoR - 69 / 2020

मुख्य कार्यपालक अधिकारी The CEO / प्रबंध निदेशक MD/ अध्यक्ष Chairman

अनुसूचित वाणिज्य बैंक Scheduled Commercial Banks, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks,
लघु वित्त बैंक Small Finance Banks, राज्य सहकारी बैंक State Cooperative Banks

महोदया/ प्रिय महोदय / Madam/Dear Sir,

नाबार्ड वाटरशेड और वाडी परियोजना क्षेत्रों में विशेष पुनर्वित्त योजना

Special Refinance Scheme in NABARD Watershed and Wadi Project Areas

आप जानते हैं, नाबार्ड देश में दो दशकों से अधिक समय से जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रतिभागी दृष्टिकोण के साथ "वाडी" नामक आदिवासी विकास परियोजनाएं लागू करता रहा है. इन वाटरशेड कार्यक्रमों की विशेषता, परियोजनाओं के आयोजन, कार्यान्वयन, अनुप्रवर्तन और वित्तीय प्रबंधन, समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से जनसमुदाय की भागीदारी रही है. ये सभी परियोजनाएं स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से नाबार्ड अनुदान/ अनुदान-सह-ऋण से लागू की जाती हैं. इन विकासात्मक पहलों से प्राकृतिक और मानव संसाधन, उच्च पूंजी और आर्थिक व्यवसायों के अनुकूल क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए हैं. वाडी मॉडल की प्रमुख विशेषता संधारणीय कृषि के माध्यम से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करना, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सहित महिलाओं के सशक्तिकरण से जीवन स्तर को बेहतर बनाना है.

2. वाटरशेड विकास कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में (35% तक वृद्धि), विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि (29-53%),

As you are aware NABARD has been implementing watershed development projects on participatory approach for conserving natural resources and Adivasi Development Projects, popularly known as "wadi" in tribal habitations across the country for more than two decades. The uniqueness of the watershed programmes is the peoples participation in planning and implementation the projects, monitoring as well as the financial management through community based organisations. All these projects are implemented with grant/ grant cum loan assistance by NABARD with the help of local NGOs. These developmental initiatives have transformed the natural and human resource endowments in compact areas and are conducive for absorption of higher capital and economic avocations. The main features of the wadi model are the economic upliftment of the

भूजल रिचार्ज में वृद्धि, निवल बुवाई क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन, अतिरिक्त रोजगार पैदा करना, रोजगार पैदा होने के कारण पलायन में कमी, फसल सघनता में वृद्धि और मृदा क्षति में कमी आई है। संरक्षित संसाधनों और निर्मित सामाजिक पूंजियों(ग्राम वाटरशेड समितियां, संयुक्त देयता समूहों, स्वयं-सहायता समूहों आदि) के प्रभावी उपयोग हेतु किसानों/जनजाति-वर्ग द्वारा वाटरशेड तथा वाडी परियोजना क्षेत्रों में संधारणीय आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन से रोजगार तथा आजीविका के अवसरों के अभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की वापसी से समस्या की गंभीरता और भी बढ़ गई जिससे कृषि में ग्रामीण युवकों के लिए निवेश के अवसरों के निर्माण की आवश्यकता बढ़ गई है। तदनुसार, बैंकों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने और शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने से उभरी समस्याओं के समाधान हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने की योजना तैयार की गई है।

3. उपर्युक्त संदर्भ में वाटरशेड तथा वाडी परियोजना क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के वित्तीय पोषण के लिए **सभी पात्र बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को 3% की दर से दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता** उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया जिससे वे इन परियोजना क्षेत्रों के लाभार्थियों को अधिक संस्थागत ऋण दे सके। इससे बैंकों को कृषि में पूंजी निवेश करने में काफी बल मिलेगा। नाबार्ड से यह पुनर्वित्त पूर्व-स्वीकृति की विस्तृत प्रक्रिया की औपचारिकताओं के बिना, बैंकों को स्वतः पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़) के अधीन दी जाएगी। साथ ही, बैंकों को बैंकिंग योजना के अनुसार इस प्रकार की गतिविधियों के लिए अलग से जानकारी रखनी होगी। विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं।

farmers, through sustainable agriculture, social empowerment, improvement in quality of life including health and women empowerment.

2. The major outcomes of the watershed development programme include increase in area under cultivation (up to 35%), improvement in productivity of various crops (29–53%), enhancement of groundwater recharge, change in net sown area and irrigated area, generation of additional employment, reduction in migration due to creation of employment, increase in cropping intensity and reduction in soil loss. In order to make efficient use of conserved resources and social capital formed viz. Village Watershed Committees (VWCs), Joint Liability Groups (JLGs), SHGs etc., it is felt that further investments by the farmers/tribals for taking up appropriate economic activities are required in watershed as well as wadi project areas. The spread of the Novel Coronavirus (COVID-19) pandemic has also severely impacted the lives of millions in the rural areas on account of lack of employment and livelihood opportunities due to lockdown. The severity of this problem has further been compounded due to reverse migration of labour force from urban areas to rural areas necessitating the need to create investment opportunities for rural youth in agriculture. Accordingly, a concessional refinance scheme has been conceived not only to encourage banks to lend to economic activities and create sustainable livelihood and employment opportunities in the rural areas but also to address the issues arising out of reverse migration.

3. In the above context, financing economic activities covering primary, secondary and tertiary sectors in watershed development project areas and micro agro

4. कृपया आप अपने बैंक में इस योजना का व्यापक प्रसार करें और रियायती पुनर्वित्त का लाभ उठाएँ. हमने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने-अपने राज्यों में परियोजना क्षेत्रों, पहचान किए गए क्लस्टरों की जानकारी आपको देने और क्षेत्र विकास योजनाएँ/ बैंकिंग योजनाएँ तैयार करने में आपका मार्गदर्शन करने की सलाह दी है.

5. इस विषय में आप आगे मार्गदर्शन और सूचना के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें.

processing activities for tribal farmers in wadi project areas supported by NABARD, it has been decided to extend **concessional long term refinance support to all eligible banks/FIs at 3%** to enable banks to deepen investment credit to beneficiaries in these project areas. This will be a great enabler to banks in accelerating capital formation in agriculture. The refinance will be sanctioned under Automatic Refinance Facility (ARF) which shall enable banks to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the detailed pre-sanction procedure formalities. However, Banks are expected to claim refinance to the extent of support provided to beneficiaries in identified watershed areas and beneficiaries of wadi projects supported by NABARD. Further, the banks have to maintain separate database for lending against such activities as per the banking plan. The detailed operational guidelines are furnished in the Annexure.

4. We request you to widely canvass the scheme in your bank and take advantage of concessional refinance. We have advised our Regional Offices to share the details of our project areas in respective States and guide in preparation of Area development Plans / Banking Plans in identified clusters.

5. We advise you to be in touch with our Regional offices for further guidance and information on the subject.

भवदीय

एल. आर. रामचंद्रन

(एल आर रामचंद्रन)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक Encls : 4 पृष्ठ pages

अनुबंध
ANNEXURE

नाबार्ड वाटरशेड और वाडी परियोजना क्षेत्रों में विशेष पुनर्वित्त योजना
Special Refinance Scheme in NABARD Watershed and Wadi Project Areas

परिचालनात्मक
Operational Guidelines

1. उद्देश्य Objective

प्रस्तावित विशेष योजना के मुख्य उद्देश्य नाबार्ड समर्थित वाटरशेड और वाडी परियोजना क्षेत्रों में संधारणीय आर्थिक गतिविधियों, आजीविकाओं और रोजगार के अवसरों का प्रसार, बैंकों को वाटरशेड/वाडी क्षेत्रों में रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देना, कोविड महामारी के कारण शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने संबंधी समस्याओं से निपटना, कोविड उपरांत कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, प्राथमिक क्षेत्र में आधार स्तर पर ऋण सघनता बढ़ाना और वाटरशेड तथा वाडी परियोजना क्षेत्रों को सुदृढ़ और संधारणीय बनाना है।

The main objectives of the proposed special scheme is to promote sustainable economic activities, livelihoods and employment opportunities in NABARD supported watershed and wadi project areas, encourage banks to lend at concessional rate in watershed/wadi areas, address the issues related to reverse migration on account of the covid pandemic, give a boost to the agriculture and rural sector in post-COVID era, credit intensification and enhancing GLC flow in priority sector and make watershed and wadi project areas more robust and sustainable.

2. पुनर्वित्त की स्वीकृति Sanction of Refinance

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 1000 चालू और पूर्ण हुई वाटरशेड और 791 जनजाति परियोजनाएं हैं। तथ्य, परियोजना क्षेत्रों में जहां ग्राम वाटरशेड समितियां और गैर सरकारी संगठन कार्यरत और सक्रिय हैं, उन्हें इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि ग्राम वाटरशेड समितियां/गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य ऋण आवेदनों तैयार कर सकें या बैंकों के बीसी के रूप में बैंकों के मानदंडों का अनुपालन करने में सहायता दे सकें।

There are around 1000 ongoing and recently completed watershed projects and 791 TDF projects in different states of the country. However, the project areas where Village Watershed Committees(VWC) are functional and NGOs are active are proposed to be covered so that the members of VWC/NGOs may facilitate origination of loan applications or can act as BCs to banks.

वाटरशेड और वाडी परियोजना क्षेत्रों में रियायती दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता आसानी से अपनाए जाने के लिए बैंकों के सहयोग से बैंकिंग योजनाएँ ज़िला विकास प्रबन्धक/क्षेत्रीय कार्यालय तैयार करेंगे. क्षेत्रीय कार्यालय हमारी परियोजना क्षेत्रों की जानकारी बैंकों को देंगे और बैंकों द्वारा सक्रियता से पहचान किए गए क्लस्टरों में ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिंग योजनाएँ तैयार करने में मार्गदर्शन करेंगे. बैंकों को नाबार्ड से विस्तृत औपचारिक पूर्व-स्वीकृति की प्रक्रिया के बिना स्वतः पुनर्वित्त सुविधा(एआरएफ़) के अधीन पुनर्वित्त की स्वीकृति दी जाएगी. तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय बैंकों को इस प्रकार की गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण के संबंध में पुनर्वित्त के दावे के लिए अलग से आंकड़े रखने की सलाह दें. क्षेत्रीय कार्यालय अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी बैंकों के साथ बातचीत करें और इस योजना का व्यापक प्रसार करें.

The concessional LT refinance support in watershed and wadi project areas be implemented through preparation of Banking Plans by DDMs/ROs of NABARD in association with banks for easy adoption. Regional Offices of NABARD will share the details of our project areas to banks and guide them in preparation of Banking Plans in identified clusters for extending loans proactively by banks. The refinance will be sanctioned under Automatic Refinance Facility (ARF) which enables banks to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the detailed procedure of pre- sanction formalities. Accordingly, banks have to maintain separate database for claiming refinance against lending for such activities. ROs will interact with all the banks in their area of jurisdiction and sensitise on scheme guidelines.

3. पात्र गतिविधियां Eligible activities

वाटरशेड विकास परियोजना क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिए गए सभी प्राथमिक क्षेत्र ऋण और वाडी परियोजना क्षेत्र में जनजातीय किसानों को कृषि-प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. एक निदर्शी सूची निम्नानुसार है:

All priority sector loans extended by banks in watershed development project areas and agro-processing activities for tribal farmers in wadi project areas will be eligible for refinance. An indicative list is given below:

कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लघु सिंचाई, कृषि यांत्रिकीकरण, भूमि विकास, मृदा संरक्षण, डेयरी, बकरी/भेड़ पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, बागान/बागबानी, वानिकी, मत्स्य पालन, गोदाम और मार्केट यार्ड्स, बायो-गैस और अन्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, रेशम पालन, मधु मक्खीपालन, पशुपालन और पशु चालित गड़िया (बैलगाड़ी आदि), कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-सेवा केन्द्र आदि; कृषीतर क्षेत्र (एमएसएमई) के अधीन शिल्पकार, हस्ताशिल्प, हथकरघा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आदि, सूक्ष्म वित्त, ग्रामीण आवास आदि पात्र हैं. वाटरशेड और वाडी विकास परियोजना क्षेत्र में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अन्य कोई गतिविधि भी पात्र होंगे.

Minor irrigation, Farm mechanisation, Land development, Soil Conservation, Dairy, sheep/goat rearing, poultry, piggery, Plantation/horticulture, forestry, Fishery, Storage

and market yards, Bio-gas and other alternate sources of energy, Sericulture, Apiculture, Animals and animal driven carts, Agro-processing, Agro-service centres, etc. under farm sector; Artisans, Handicrafts, Handlooms, Agro and Food Processing etc. under off-farm Sector (MSME); Micro-Finance, Rural Housing etc. are eligible. Any other activity complying with priority sector guidelines financed by banks in the watershed and wadi development project area are also eligible.

4. पात्र लाभार्थी Eligible Beneficiaries

इस योजना में, वाटरशेड परियोजना क्षेत्र में सभी पात्र लाभार्थी शामिल होंगे. समान्यतया एक वाटरशेड क्षेत्र लगभग 1000 हेक्टेयर का होता है जिसमें खेती करने वाले लगभग 400 कृषि परिवारों की ज़मीन हो सकती है. इसी तरह नाबार्ड समर्थित जनजाति विकास निधि-परियोजनाओं के सभी लाभार्थी पात्र हैं बैंक उन्हें प्रस्तावित योजना के अधीन ऋण प्रदान कर सकते हैं. छोटे और सीमांत किसानों, जनजातीय किसानों, अन्य किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं-सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, कृषक सामुदायिक संस्थाओं आदि को बैंक ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं.

The scheme will cover all the eligible beneficiaries in watershed project areas. Generally, in a watershed project of approx. 1000 ha area, about 400 farm households will be owning and cultivating the lands. Similarly all the beneficiaries of TDF projects supported by NABARD in Wadi area are eligible and banks may consider extending loans under the proposed scheme. Loans may be given to Small & Marginal farmers, tribal farmers, other farmers, FPOs, SHGs, JLGs, farmers' collectives etc.

5. पात्र वित्तीय संस्थान Eligible financial institutions

वर्तमान पुनर्वित्त नीति के अनुसार, वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ योजना के अधीन रियायती पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं.

As per the extant refinance policy, Commercial Banks, SFBs, RRBs, Cooperative Banks and subsidiaries of NABARD are eligible for concessional refinance under the scheme.

6. मार्जिन Margin

प्रत्येक बैंक के ऋण अंडराइटिंग मानक और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्जिन होगी.

As per credit underwriting standards of individual banks and in accordance with RBI guidelines in this regard.

7. ब्याज दर Interest rate

इस विशेष पुनर्वित्त योजना पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष होगी और बैंक/वित्तीय संस्थान, नाबार्ड की ब्याज दर से 2.5% से अधिक अंतिम ऋण दर नहीं लगाएंगे. नाबार्ड को समय-समय पर ब्याज की दर में परिवर्तन करने का अधिकार होगा.

The interest rate on this Special Refinance Scheme will be at @3% per annum and the ultimate lending rate to be charged by banks/FIs should not be more than 2.5% over & above the interest rate charged by NABARD. NABARD reserves the right to change the interest rate from time to time.

8. चुकौती Repayment

इस पुनर्वित्त की चुकौती अवधि अधिकतम 5 वर्ष की होगी.

The refinance shall be repaid within a maximum period of 5 years.

9. अनुप्रवर्तन और समीक्षा Monitoring and Review

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम वाटरशेड समिति बैठकों/ जनजाति विकास निधि परियोजना अनुप्रवर्तन समिति-पीएमसी बैठकों/ राज्य स्तरीय बैंकर समिति- एसएलबीसी/ खंड स्तरीय बैंकर समिति – बीएलबीसी/ ज़िला समन्वय समिति जैसे मंचों पर योजना का अनुप्रवर्तन किया जाए. नैब परीक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकों द्वारा दीर्घावधि आर्थिक गतिविधियों की जियो-टैगिंग और जियो-फेंसिंग गहन अनुप्रवर्तन किया जाएगा. बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने और पुनर्वित्त संवितरण के लिए बैंक न्यूट्रल प्लैटफॉर्म पर डिजिटल ऋण आवेदन किया जा सकता है जिस पर वाटरशेड और वाडी क्षेत्र का डिजिटल नक्शा होना चाहिए.

For effective implementation of the scheme, monitoring may be done in the fora like Village Watershed Committee Meetings/ TDF PMC meetings/ SLBC/ BLBC/ DCC. Close monitoring shall be done by geo-tagging and geo-fencing of long term economic activities financed by banks through NAB Parikshan Mobile App of NABARD. Generation of digital loan application on bank neutral platform with clear digital map demarcation of watershed and wadi areas will also be attempted for delivery of loan by banks and refinance disbursement.

10. योजनाबद्ध पुनर्वित्त पर लागू अन्य नियम व शर्तें यथावत होंगी. All other terms and conditions as applicable to schematic refinance shall remain unchanged.